राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 5 (3) न.वि.वि./3/99 जयपुर, दिनांक : [illegible] 1999

आदेश

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 10.7.99 के संबंध में कई जिला कलेक्टरों द्वारा इस आदेश के बारे में कुछ बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहा गया है, उन बिन्दुओं पर पूर्ण परीक्षण के उपरान्त इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10.7.99 की निरन्तरता में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. राज्य की नगरीय योग्य सीमा (Urbanisable Limits) में स्थित कृषि भूमि के लिये राजस्थान भू-राजस्व (शहरी क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ कृषि भूमि आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1981 प्रभावी नहीं होंगे। नगरीय योग्य सीमा (Urbanisable Limits) में राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1999 (अधिनियम संख्या 21) जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में धारा 90 ख, राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 63 की उप-धारा (1) के खण्ड (II) में जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 54-ख जोड़कर राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम की धारा 60 की उप-धारा 1, 2, 3, 4 एवं 5 तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 80 की उप-धारा 1 में तथा धारा 80-क के अनुसार किया गया प्रावधान प्रभावी होगा।

2. नगरीय योग्य सीमा (Urbanisable Limits) के बाहर तथा मास्टर प्लान की सीमा में स्थित कृषि भूमियों के नियमन, आवंटन एवं संपरिवर्तन के संबंध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बनाये गये भूमि रूपान्तरण नियम, 1981 के प्रावधान प्रभावी होंगे।*

3. मास्टर प्लान की सीमा से बाहर स्थित ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के नियमितिकरण, आवंटन एवं संपरिवर्तन के संबंध में भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बने ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि रूपान्तरण नियम, 1992 प्रभावी होंगे।

---

* परिपत्र क्रमांक 5 (8) न.वि.वि./3/99 दिनांक 26.5.2000 के अनुसार जिन नगरों में मास्टर प्लान/ड्राफ्ट मास्टर प्लान नोटिफाई किया गया है, उनकी सीमाओं तक नियमन संबंधी कार्यवाही की जा सकती है। जिन शहरों में मास्टर प्लान/ड्राफ्ट मास्टर प्लान नोटिफाई नहीं है, उन शहरों में नगरपालिका/नगर परिषद सीमा या 1981 के नियमों में दी गयी सीमा (पेराफेरी गांवों को सम्मिलित करते हुये) जो भी अधिक हो, नियमन किया जा सकता है।

4. जहां तक अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों द्वारा अपनी कृषि भूमि के विक्रय या विक्रय करार या किसी अन्य माध्यम से बेची गयी भूमियों के नियमितिकरण/आवंटन के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) अध्यादेश 1999 व उसके उपरान्त 11.10.99 को जारी अधिनियम 1999 के अनुसार समस्त कृषि भूमि नियमितिकरण/आवंटन हेतु राज्य सरकार में निहित होकर संबंधित स्थानीय निकाय को समर्पित किया जाना आवश्यक हैं। समर्पण के उपरांत ऐसी समस्त कृषि भूमि का नियमन/आवंटन संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार में कृषि भूमि निहित होते ही वह भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि नहीं रह जाती है। अतः इस संबंध में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 (ख) के प्रावधान किसी व्यक्ति/संस्था को नियमन/आवंटन के उद्देश्य से बाधा उत्पन्न नहीं करते। अर्थात् उक्त उद्देश्य हेतु राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 (ख) के प्रावधान प्रभावित नहीं होते।

सही/-

(श्रीराम मीणा)

शासन उप सचिव